

नयी दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम - 2007-2008 के दौरान वाहन खरीदने के लिए ब्याज की दर।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007-2008 के दौरान अर्थात् पहली अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 की अवधि में वाहनों की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले अग्रिमों के लिए ब्याज की दरें वर्ष 2006-2007 के लिए ब्याज दरों के समान स्तर पर निम्नानुसार रहेंगी:-

| | ब्याज की वार्षिक दर |
|--|------------------------|
| (i) साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम | 5.5 प्रतिशत |
| (ii) मोटर-कार को छोड़कर अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम (अर्थात् मोटर-साइकिल, स्कूटर आदि) | 8 प्रतिशत |
| (iii) मोटर-कार खरीदने के लिए अग्रिम | 11.5 प्रतिशत |

वि. शिवसुब्रमणियन
(वि. शिवसुब्रमणियन)
निदेशक (बजट)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों, लेखा नियंत्रकों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों के लिए अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित।
2. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक, नई दिल्ली।
2. लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली।
3. रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली।
4. सभी महालेखाकार और लेखा निदेशक।
5. भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

वि. शिवसुब्रमणियन
(वि. शिवसुब्रमणियन)
निदेशक (बजट)


New Delhi, the 17th October, 2007

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Advances to Government servants — Rate of interest for purchase of conveyances during 2007-2008.

The undersigned is directed to state that the rates of interest for advances sanctioned to the Government servants for purchase of conveyances during 2007-2008 i.e. from 1st April, 2007 to 31st March, 2008 will continue to be at the same level as for 2006-2007, as under:

| | Rate of interest per annum |
|---|-------------------------------|
| (i) Advance for purchase of Bicycle | 5.5% |
| (ii) Advance for purchase of conveyance other than motor car (viz. motor cycle, scooter etc.) | 8% |
| (iii) Advance for purchase of motor car | 11.5% |



(V. Sivasubramanian)
Director (Budget)

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India with spare copies for IFA, Controller of Accounts and Pay and Accounts Offices.
2. Finance Secretaries of UTs without legislature.

Copy forwarded to:—

1. C&AG of India, New Delhi.
2. C.G.A., New Delhi.
3. C.G.D.A., New Delhi.
4. All AGs and Director of Accounts.
5. Supreme Court of India.
6. UPSC, New Delhi.


(V. Sivasubramanian)
Director (Budget)